नईदुनिया



## संपादकीय

# यात्राएं धर्म से ज्यादा राजनीतिक सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करती हैं

*राजनीति और धर्म, दोनों में यात्राओं का बहुत महत्व रहा है। जन आक्रोश, जन आशीर्वाद, परिवर्तन और विकास यात्राएं चुनावी मौसम की पहचान बन चुकी हैं। आदि शंकराचार्य ने अल्पायु में पूरे देश का भ्रमण कर सनातन धर्म की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में पीठों की स्थापना की। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को भी गैर-राजनीतिक बताया गया था, लेकिन उसी यात्रा ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से आहत होकर धर्म रक्षा के लिए गैर-राजनीतिक यात्रा का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इस यात्रा में किसी दल का झंडा नहीं होगा, नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाएगा और इसका उद्देश्य केवल धर्म रक्षा का संदेश देना है।*

*यात्रा की घोषणा के साथ ही उन्होंने अपने सरकारी आवास के बाहर एक बैनर लगाया, जिस पर लिखा था कि इस बंगले में 'चंदा चोरों का प्रवेश वर्जित है।' लेकिन सरकारी आवास जनता के धन से बना होता है। किसी को प्रवेश से रोकने वाला ऐसा संदेश राजनीतिक अधिक और धार्मिक कम प्रतीत होता है। जिन लोगों पर चंदे या दान में गड़बड़ी के आरोप हैं, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अपराधी घोषित कर देना और उनके प्रवेश पर प्रतीकात्मक रोक लगाना धर्मसम्मत नहीं कहा जा सकता।*

*दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत जीवन सनातनी माना जाता है, लेकिन उनकी राजनीतिक छवि लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़ी रही है। हर पेशे का अपना धर्म होता है और राजनीति का भी एक धर्म है। सबसे बड़ा धर्म सत्य और इंसानियत है। किंतु राजनीति में पद, प्रतिष्ठा और संगठनात्मक मजबूरियां कई बार नेताओं को सच जानते हुए भी मौन रहने पर विवश कर देती हैं।*

*दिग्विजय सिंह कांग्रेस की कमजोरियों से भली-भांति परिचित हैं और उन्हें दूर करने की क्षमता भी रखते हैं। इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व के सामने खुलकर बोलना उनके लिए संभव नहीं दिखता। जिस व्यक्ति की अपने दल से अपेक्षाएं बनी रहती हैं, उसके लिए हर परिस्थिति में सत्य पर अडिग रहना कठिन हो जाता है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति अपने राजनीतिक जीवन में हर बार सत्य के साथ खड़ा नहीं हो पाया, वह धर्म रक्षा के प्रश्न पर कितना निष्पक्ष रह सकेगा।*

*राम मंदिर में दान चोरी की घटना निस्संदेह निंदनीय है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस घटना के सहारे अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता या सार्वजनिक छवि को मजबूत करने का प्रयास करे, तो वह भी कम चिंताजनक नहीं है। धर्म मूलत: व्यक्ति के अंतर्मन का विषय है, किंतु आज उसका सार्वजनिक प्रदर्शन अधिक लाभ का माध्यम बनता जा रहा है। दिग्विजय सिंह की प्रस्तावित यात्रा राजनीति से प्रेरित अधिक और धर्म रक्षा का माध्यम कम प्रतीत होती है। अंतत: धर्म की रक्षा बाहरी प्रदर्शन से नहीं, बल्कि सत्य, करुणा, प्रेम और अपने कर्मों के प्रति ईमानदारी से होती है।*

## आजकल

# मालिकाना हक का रास्ता आसान, अब पारदर्शिता की असली परीक्षा

**मध्यप्रदेश** सरकार ने ग्रामीण आबादी की भूमि पर वर्षों से काबिज 48 लाख से अधिक परिवारों को मालिकाना हक दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी सब रजिस्ट्रार की शक्तियां देकर सरकार ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने का प्रयास किया है। साथ ही स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और पंचायत उपकर माफ कर गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ भी कम किया गया है। यह निर्णय ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

अब तक सीमित संख्या में सब रजिस्ट्रार कार्यालय होने के कारण लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता था। नई व्यवस्था से रजिस्ट्री की प्रक्रिया गांवों के अधिक करीब पहुंचेगी और लोगों को अनावश्यक दौड़-भाग से राहत मिलेगी। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि मालिकाना हक मिलने के बाद ग्रामीण अपनी जमीन के आधार पर बैंक से ऋण लेकर मकान निर्माण, कृषि और छोटे व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

किसी भी अच्छी योजना की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकार अभिलेख बनाने से लेकर रजिस्ट्री तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त हो। यदि राजस्व कार्यालयों में दलाल सक्रिय रहे या पात्र लोगों को अनावश्यक आपत्तियों और कागजी औपचारिकताओं में उलझाया गया, तो इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

सरकार ने इस योजना पर लगभग 3800 करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठाने का निर्णय लिया है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसका लाभ वास्तव में उन परिवारों तक पहुंचे, जो वर्षों से अपनी ही जमीन पर कानूनी मालिकाना हक के इंतजार में हैं। यदि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ इस योजना को लागू किया गया, तो यह केवल मुफ्त रजिस्ट्री की योजना नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित हो सकती है।

## श्रीराम मंदिर की मर्यादा सवालों के घेरे में

# कार्यवाही नहीं, दंड मिलता हुआ दिखना चाहिए ...

**प्रतीकात्मक बदलाव नहीं, संस्थागत पारदर्शिता चाहिए**

राम मंदिर आंदोलन भारतीय इतिहास की सबसे लंबी और सबसे गहरी आस्था यात्राओं में से एक रहा है। यह किसी एक व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं था, बल्कि करोड़ों सनातनियों की सामूहिक चेतना, आस्था और धैर्य का परिणाम था। पांच सौ वर्षों के संघर्ष, असंख्य बलिदानों और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद जब अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बना, तब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसे सनातन समाज ने इसे अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्स्थापना के रूप में देखा। उस समय लोगों की आंखों में आंसू थे और मन में गर्व था, क्योंकि यह मंदिर केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और समर्पण की नींव पर खड़ा हुआ है। इसलिए मंदिर के निर्माण के बाद सामने आए घटनाक्रम केवल प्रशासनिक विवाद नहीं हैं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़े गंभीर विषय हैं।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्य संचालन को लेकर जो सवाल उठे हैं, वे किसी एक व्यक्ति की कार्यशैली तक सीमित नहीं हैं। चंदा संग्रह में कथित अनियमितताओं, फर्जी रसीदों के मामले और ट्रस्ट के भीतर मतभेदों की खबरों ने यह संकेत दिया है कि संस्थागत व्यवस्था को और अधिक मजबूत तथा पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। जब पुलिस जांच में यह सामने आता है कि ट्रस्ट के नाम पर फर्जी रसीदें छापकर श्रद्धालुओं से धन वसूला गया, तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं रह जाता, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ विश्वासघात का विषय बन जाता है। यह घटना उन लोगों को भी आहत करती है जिन्होंने अपनी श्रद्धा से मंदिर निर्माण में योगदान दिया।

बदलाव की चर्चा अवश्य हो रही है, लेकिन बदलाव केवल बैठकों और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा संतों के साथ विचार-विमर्श करना, व्यवस्थागत सुधारों पर चर्चा करना और नई कार्यप्रणाली बनाने का प्रयास सकारात्मक संकेत हैं। किंतु जब तक इन सुधारों का प्रभाव सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देगा और उनके परिणाम व्यवहार में नहीं उतरेंगे, तब तक आम श्रद्धालु का विश्वास पूरी तरह बहाल नहीं हो सकेगा। किसी भी बड़ी धार्मिक संस्था की सबसे बड़ी पूंजी उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि जनता का विश्वास होता है। यदि वही कमजोर पड़ जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान संस्था की प्रतिष्ठा को होता है।

अब आवश्यकता केवल प्रतीकात्मक बदलावों की नहीं, बल्कि व्यापक संस्थागत सुधारों की है। सबसे पहले ट्रस्ट की शासन व्यवस्था को अधिक संतुलित और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने की जरूरत है। राम मंदिर केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि सनातन आस्था का केंद्र है। इसलिए इसके प्रबंधन में संत समाज, धर्माचार्यों, महंतों और समाज के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों की पर्याप्त भागीदारी होनी चाहिए। साथ ही वित्तीय प्रबंधन, तकनीकी संचालन, प्रशासन और कानूनी मामलों के लिए अनुभवी पेशेवर विशेषज्ञों को भी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। आस्था और प्रशासन, दोनों का संतुलन ही किसी संस्था को दीर्घकाल तक मजबूत बना सकता है।

वित्तीय पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मंदिर निर्माण और विकास के लिए देश-विदेश से प्राप्त दान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। इसलिए प्रत्येक रुपये के उपयोग की जानकारी सार्वजनिक होना स्वाभाविक अपेक्षा है। ट्रस्ट को चाहिए कि वह नियमित रूप से अपनी आय-व्यय का विस्तृत विवरण, त्रैमासिक और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करे। ऑनलाइन दान व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए तथा नकद लेनदेन को न्यूनतम किया जाए। फर्जी रसीद प्रकरण के बाद दान सीधे बैंक खाते में जमा कराने का निर्णय उचित है, लेकिन इसके साथ स्वतंत्र लेखा समिति और समय-समय पर बाहरी ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं भी आवश्यक हैं। पारदर्शिता केवल ईमानदारी का प्रमाण नहीं होती, बल्कि वह भविष्य के विवादों को भी रोकती है।

जवाबदेही किसी भी संस्था की विश्वसनीयता की आधारशिला होती है। यदि कुछ कर्मचारियों या संबंधित व्यक्तियों की गलती से पूरी संस्था की छवि प्रभावित होती है, तो केवल जांच पर्याप्त नहीं होती। दोषियों के खिलाफ त्वरित, निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई भी दिखाई देनी चाहिए। समाज केवल यह नहीं देखता कि जांच हुई या नहीं, बल्कि यह भी देखता है कि गलती करने वालों को क्या दंड मिला। इसी से संदेश जाता है कि संस्था अपनी मर्यादा और नियमों के प्रति गंभीर है। स्पष्ट आचार संहिता, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, नियमित प्रशिक्षण और प्रभावी निगरानी तंत्र भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोक सकते हैं।

ट्रस्ट और समाज के बीच संवाद का अभाव भी वर्तमान स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण है। जब आधिकारिक जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं होती, तब अफवाहें और आरोप तेजी से फैलते हैं। इसलिए ट्रस्ट को नियमित प्रेस वार्ता, प्रगति रिपोर्ट और सार्वजनिक संवाद की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। डिजिटल माध्यमों के जरिए भी श्रद्धालुओं को समय-समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा।

राम मंदिर को किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का केंद्र नहीं बनने देना चाहिए। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का धाम है, इसलिए यहां की प्रत्येक गतिविधि भी मर्यादा, संयम और सेवा की भावना से प्रेरित होनी चाहिए। मतभेद यदि हों भी, तो उनका समाधान संस्थागत और मर्यादित तरीके से होना चाहिए, न कि सार्वजनिक विवादों के माध्यम से। यह मंदिर अब केवल अयोध्या या भारत का नहीं, बल्कि विश्वभर के सनातन समाज की आस्था का केंद्र बन चुका है। विदेशों में बसे करोड़ों भारतीय भी इसे गर्व और श्रद्धा के साथ देखते हैं। इसलिए इसकी गरिमा बनाए रखना केवल ट्रस्ट की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व भी है।

राम मंदिर आंदोलन का उद्देश्य केवल मंदिर निर्माण नहीं था। उसका उद्देश्य सत्य, मर्यादा और धर्म पर आधारित आदर्श व्यवस्था की स्थापना भी था। यदि निर्माण के बाद हम उन्हीं मूल्यों को व्यवहार में स्थापित नहीं कर पाए, तो यह आंदोलन की मूल भावना के साथ न्याय नहीं होगा।

अब समय आ गया है कि प्रतीकात्मक घोषणाओं से आगे बढ़कर ऐसे ठोस और दिखाई देने वाले कदम उठाए जाएं, जिनसे प्रत्येक श्रद्धालु को यह विश्वास हो कि यह मंदिर उसी मर्यादा, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ संचालित हो रहा है, जिसके लिए भगवान श्रीराम युगों-युगों से पूजनीय हैं। राम मंदिर केवल एक भव्य इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, और उस आस्था की रक्षा करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है।

**( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )**

## यूरेनियम से गगनयान तक:

# भारत-ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी

**पिछले दशक में वैश्विक परिस्थितियों में आए बदलावों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को और करीब ला दिया है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता तनाव, आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएं और तकनीकी प्रतिस्पर्धा ने दोनों लोकतांत्रिक देशों को एक साझा मंच पर खड़ा कर दिया है।**

भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अब केवल कॉमनवेल्थ और क्रिकेट की यादों तक सीमित नहीं रहे। वे 21वीं सदी की सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारियों में बदल चुके हैं। यह संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, शिक्षा, खनिज और साइबर सुरक्षा तक फैल चुका है। यूरेनियम से गगनयान तक और कोकोस द्वीप से विश्वविद्यालय परिसरों तक का यह सफर बताता है कि दोनों देश एक-दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं।

पिछले दशक में वैश्विक परिस्थितियों में आए बदलावों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को और करीब ला दिया है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता तनाव, आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएं और तकनीकी प्रतिस्पर्धा ने दोनों लोकतांत्रिक देशों को एक साझा मंच पर खड़ा कर दिया है। आज दोनों एक-दूसरे को केवल रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि भविष्य के सहयात्री के रूप में देखते हैं।

रक्षा और समुद्री सुरक्षा इस साझेदारी की नई धुरी बनकर उभरी है। दोनों देशों के बीच संयुक्त रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। थलसेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास नियमित हो चुके हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी इसका प्रमुख उदाहरण है। भारत-ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा रोडमैप पर भी तेजी से काम हो रहा है। भारतीय तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलियाई बॉर्डर फोर्स के बीच खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ा है। दोनों देशों का साझा लक्ष्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में निर्बाध, सुरक्षित और नियम-आधारित समुद्री आवागमन सुनिश्चित करना है।

ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी यह सहयोग महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक है और भारत को अपनी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इसकी आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति से भारत के स्वच्छ और कार्बन-मुक्त ऊर्जा लक्ष्यों को गति मिलेगी। भविष्य में दोनों देश परमाणु अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा सकते हैं।

आज की दुनिया लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और दुर्लभ मृदा खनिजों के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरियां, सेमीकंडक्टर और रक्षा उपकरण इन पर निर्भर हैं। ऑस्ट्रेलिया इन महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध है, जबकि भारत प्रसंस्करण और विनिर्माण क्षमता विकसित कर रहा है। दोनों देश अब महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला और प्रसंस्करण में सहयोग बढ़ा रहे हैं, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो और एक विश्वसनीय वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था विकसित की जा सके।

व्यापार और निवेश भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर भी बातचीत जारी है, जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। ऑस्ट्रेलिया भारत में खनन, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश बढ़ाना चाहता है, जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया में सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा और स्टार्टअप क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है।

डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी सहयोग का नया आयाम बन चुके हैं। दोनों देश साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा पर मिलकर काम कर रहे हैं। डेटा सुरक्षा, फर्जी खबरों और साइबर हमलों से निपटने के लिए साझा रणनीति विकसित की जा रही है।

अंतरिक्ष सहयोग भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोकोस (कीलिंग) द्वीप पर स्पेस ट्रैकिंग सुविधाओं के विकास में ऑस्ट्रेलिया भारत का सहयोग कर रहा है। गगनयान मिशन में भी ट्रैकिंग और संचार सहायता प्रदान की जाएगी। दोनों देश उपग्रह डेटा, जलवायु निगरानी और अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी साथ काम कर रहे हैं।

शिक्षा और कौशल विकास इस रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया की कई विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित करने की तैयारी कर रही हैं, जिससे भारतीय छात्रों को देश में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम और कौशल विकास केंद्र दोनों देशों के युवाओं को नई संभावनाएं प्रदान करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय मूल के लाखों लोग भी इस संबंध को और मजबूत बनाते हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया मुक्त, सुरक्षित और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति समान प्रतिबद्धता रखते हैं। क्वाड के माध्यम से दोनों देश समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आपदा राहत और आतंकवाद-रोधी सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। चुनौतियां अवश्य हैं, लेकिन दोनों देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति इस साझेदारी को भविष्य की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम दिखाई देती है।

**( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )**

# करोड़ों की ड्रग्स पकड़ाई, फिर भी कारोबार जारी

**नशे का गढ़ बनता मध्यप्रदेश**

**मध्यप्रदेश** में नशे का कारोबार अब गंभीर सामाजिक और कानून-व्यवस्था की चुनौती बन चुका है। पुलिस हर महीने करोड़ों रुपये की ड्रग्स जब्त कर रही है, अवैध फैक्ट्रियां सील हो रही हैं और तस्कर गिरफ्तार भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नशे का नेटवर्क लगातार फैलता जा रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, रतलाम, नीमच और मंदसौर जैसे शहरों से निकलकर यह जहर अब गांवों तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कार्रवाई लगातार हो रही है, तो नशे का कारोबार रुक क्यों नहीं रहा?

इस सवाल का जवाब उतना ही कड़वा है। केवल छोटे तस्करों की गिरफ्तारी से इस कारोबार पर रोक नहीं लग सकती। यदि कहीं करोड़ों रुपये की ड्रग्स बन रही है, कच्चा माल पहुंच रहा है और तैयार माल देशभर में भेजा जा रहा है, तो यह सब बिना किसी स्थानीय संरक्षण और तंत्र की मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता। यही कारण है कि बार-बार बड़ी कार्रवाई के बाद भी कुछ समय में नया नेटवर्क खड़ा हो जाता है।

पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। भोपाल में अलग-अलग समय पर 25 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 65 करोड़ और 55 करोड़ रुपये तक की एमडी ड्रग्स पकड़ी गई। वर्ष 2025 में डीआरआई ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। हर साल जब्ती का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन बाजार में नशे की उपलब्धता कम नहीं हो रही। इसका सीधा अर्थ यही है कि जो माल पकड़ा जा रहा है, वह पूरे कारोबार का एक छोटा हिस्सा भर है, जबकि बड़ी खेप अब भी बाजार तक पहुंच रही है।

स्थिति और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि अब मध्यप्रदेश में सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की छोटी-छोटी फैक्ट्रियां भी स्थापित होने लगी हैं। गांवों में मामूली किराये पर मकान लेकर भीतर करोड़ों रुपये का अवैध कारोबार चलाया जाता है। हाल ही में सोनकच्छ क्षेत्र में पकड़े गए एक आरोपी के पास ड्रग्स बनाने की मशीनें, रसायन और पैकिंग सामग्री मिली। सवाल यह है कि कोई बाहरी व्यक्ति गांव में फैक्ट्री चलाता रहे और स्थानीय स्तर पर किसी को इसकी भनक तक न लगे, क्या यह सामान्य बात है?

मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी तस्करों के लिए अनुकूल मानी जाती है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगी सीमाएं ड्रग्स की आवाजाही को आसान बनाती हैं। नीमच और मंदसौर पहले से अफीम उत्पादन के लिए जाने जाते रहे हैं। अब इन इलाकों में सिंथेटिक ड्रग्स का खतरा भी बढ़ रहा है। रतलाम और उज्जैन जैसे शहर ट्रांजिट पॉइंट बनते जा रहे हैं, जबकि भोपाल और इंदौर बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में उभर रहे हैं।

सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि नशा अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। गांवों, कस्बों और यहां तक कि स्कूलों और कॉलेजों के आसपास भी इसकी पहुंच बढ़ रही है। ऑनलाइन ऑर्डर, कूरियर और सोशल मीडिया के जरिए ड्रग्स की आपूर्ति का नया तंत्र विकसित हो चुका है। इसकी चपेट में आने वाला युवा केवल अपनी सेहत ही नहीं खोता, बल्कि उसका परिवार आर्थिक और सामाजिक संकट में भी फंस जाता है। नशे की लत अक्सर अपराध, हिंसा और पारिवारिक विघटन का कारण बनती है।

पुलिस और नारकोटिक्स एजेंसियां लगातार अभियान चला रही हैं, लेकिन केवल कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए। जो लोग इस कारोबार को संरक्षण देते हैं, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जितनी तस्करों के खिलाफ होती है। अवैध संपत्ति जब्त करने, वित्तीय जांच, ऑनलाइन नेटवर्क पर निगरानी और आधुनिक तकनीक के उपयोग के बिना इस लड़ाई में सफलता मिलना कठिन है।

इसके साथ ही समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। स्कूलों, कॉलेजों और पंचायत स्तर पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने होंगे। अभिभावकों को भी अपने बच्चों की संगत, व्यवहार और गतिविधियों पर सतर्क नजर रखनी होगी। नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

मध्यप्रदेश को ड्रग्स मुक्त बनाने के नारे वर्षों से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब केवल नारों से काम नहीं चलेगा। इस लड़ाई को दिखावे से निकालकर जमीनी स्तर पर निर्णायक अभियान बनाना होगा। यदि आज कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले वर्षों में इसकी सबसे बड़ी कीमत प्रदेश की युवा पीढ़ी चुकाएगी। तब सवाल केवल कानून-व्यवस्था का नहीं रहेगा, बल्कि पूरे समाज के भविष्य का होगा।

**( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )**